न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2022 / 347**
दायरा तिथि : 23.09.2022
आदेश तिथि : 23-06-25
<u>प्रार्थीगण</u> :–

1. कुंपाराम पुत्र रामाजी जाति सुथार निवासी लुणावा
2. इन्द्र सुथार पुत्र हुलीदेवी पत्नी जेठारामजी
3. करतुदेवी पुत्री रामाजी
4. घीसीदेवी पुत्री रामाजी
5. रमेश कुमार पुत्र हुलीदेवी पत्नी जेठारामजी जातिगण सुथार निवासीगण लुणावा तहसील बाली

ब ना म

<u>अप्रार्थीगण</u> :–

1. छोगी पत्नी ओटारामजी
2. फुलाराम पुत्र ओटारामजी जाति चौधरी निवासी लुणावा
3. गोगारामजी पुत्र मोतीराम जाति सीरवी निवासी लुणावा तहसील बाली

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने</u>

<u>आदेश</u> दिनांक: 23-06-25

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2027 रकबा 0.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 2442 / 2027 रकबा 0.2600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2026 रकबा 1.1500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व / 2022 / 3354 दिनांक 30.11.2022 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर आपत्ति के पश्चात ग्राम लुणावा के खसरा नंबर 2026 व 2028 के बीचोंबीच से नया रास्ता प्रस्तावित करते हुये पुनः रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार बाली को निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व / 2024 / 1439 दिनांक ...08.2024 से पुनः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की पुनः जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/347

अनवान कुपाराम वगैरा बनाम छोगी

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2026	1.1500 हैक्टर	बा.अ.	88X2=176 वर्गमीटर	1. छोगी पत्नी ओटाराम हिस्सा 1/4 पूर्ण खाता रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सुमेरपुर 2. फुलाराम पुत्र ओटाराम हिस्सा 3/4 हिस्सा पूर्ण खाता रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सुमेरपुर जातिगण चौधरी सा. देह खातेदार
2	2028	0.4400 हैक्टर	बा.अ.	88X2=176 वर्गमीटर	गोगाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा पूर्ण जाति सीरवी सा. देह खातेदार

4. यह कि निरीक्षक भू–अभिलेख सेवाडी द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 2,15,459/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष या अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे पुनः रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थी अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड व खसरा नंबर 226 के खातेदार के अधिवक्ता श्री विरमदेवसिंह सोनीगरा व खसरा नंबर 2028 के खातेदार के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत की बहस सुनी गई। खसरा नंबर 2028 के खातेदार के अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत द्वारा दलीत दी गई कि प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में अप्रार्थी गोगाराम पुत्र मोतीराम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2028 का उल्लेख नहीं किया इसके बावजूद खसरा नंबर 2026 के खातेदार ने पटवारी हल्का से मिलकर गलत रिपोद्ध पेश की है। अतः खसरा नंबर 2028 में से रास्ता नहीं दिया जावे। खसरा नंबर 2026 के अधिवक्ता ने खसरा नंबर 2026 व 2028 दोनों खसरों में से तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार खसरा नंबर 2026 के खातेदार के अधिवक्ता 2028 के अधिवक्ता द्वारा की गई आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार बाली द्वारा कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1439 दिनांक 27.08.2024 से प्रेषित रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से दोनो खसरो अर्थात खसरा नंबर 2026 व 2028 में से 2.5–2.5 मीटर चौडाई का रास्ता दिया जाना न्याय संगत है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2027 रकबा 0.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 2442/2027 रकबा 0.2600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2027 रकबा 0.2700 हैक्टर व खसरा नंबर 2442/2027 रकबा 0.2600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2026 रकबा 1.1500 हैक्टर व खसरा नंबर 2028 रकबा 0.4400 हैक्टर में से **440 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार..........03

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/347

अनवान कुपाराम वगैरा बनाम छोगी

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 215459/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2026	1.1500 हैक्टर	88X2.5=220 वर्गमीटर	22	4840X2=9680	1. छोगी पत्नी ओटाराम हिस्सा 1/4 पूर्ण खाता रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सुमेरपुर 2. फुलाराम पुत्र ओटाराम हिस्सा 3/4 हिस्सा पूर्ण खाता रहन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सुमेरपुर जातिगण चौधरी सा. देह खातेदार
2028	0.4400 हैक्टर	88X2.5=220 वर्गमीटर	22	4840X2=9680	गोगाराम पुत्र मोतीराम हिस्सा पूर्ण जाति सीरवी सा. देह खातेदार
		कुल 440 वर्गमीटर		कुल राशि 19360	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 19360/- (अक्षरे उन्नीस हजार तीस सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/ 802-806

दिनांक : 26.6.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, लुणावा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक कुपाराम पुत्र रामाजी जाति सुथार निवासी लुणावा वगैरा को सूचनार्थ।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 07/07/2024 07:16:36 PM

जिला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : सेवाडी

पटवारी हल्का : लुणावा | ग्राम : लुणावा

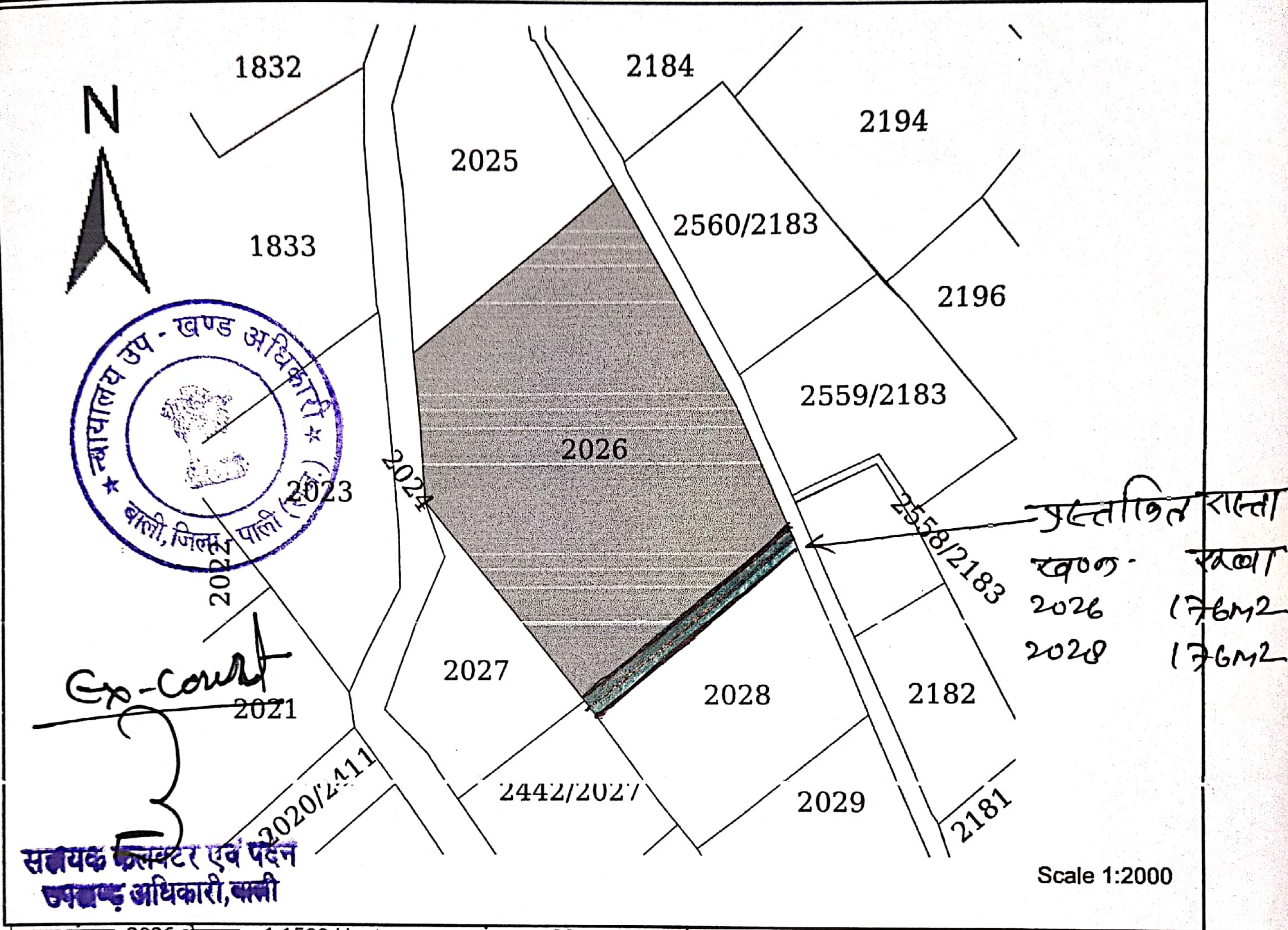

खसरा संख्या :2026 क्षेत्रफल : 1.1500 Hectare खाता संख्या : 32पुराना खाता संख्या :31

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी अव्वल [1.1500, 8.05]

1.) छोगी पत्नि ओटाराम हिस्सा- 1/4 जाति- चौधरी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा SUMERPUR

2.) फूलाराम पुत्र ओटाराम हिस्सा- 3/4 जाति- चौधरी सा. देह खातेदार हिस्सा-3/4 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा SUMERPUR

तहसीलदार, बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with CamScanner